फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः— 48/2012 शीर्षकः— मुकेश बनाम शंकरलाल

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
22.05.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 02 के अधिवक्ता शराफत हुसैन द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में वादग्रस्त संपत्ति अकृषि किस्म उद्योग की है। वाद एततद्वारा प्रचलित विधि में बाधित होकर उक्त वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद आप न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद खारीज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता का जवाब नहीं दिया जाकर सीधी बहस की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र को ही बहस मानने का निवेदन किया। विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त संपत्ति अकृषि किस्म उद्योग होने से आप न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी का वाद इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावें। दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस में दिए गए उजरात व प्रस्तुत न्यायिक दलिलों पर मनन किया गया। वादग्रस्त संपत्ति अकृषि किस्म उद्योग की है। उक्त वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता हैं एवं वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (रक्षा पारीक) सहायक कलक्टर आमेट जिला राजसमन्द	